

प्रेषक,

मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
लखनऊ।

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./अरबन आर.सी.एच./2012-13/ दिनांक /6.06.2012  
विषय: लखनऊ जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु  
दिशानिर्देश।

महोदय,

भारत सरकार तथा विश्व बैंक/यूरोपियन कमीशन सहायतित सेक्टर इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुदानित अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम वर्ष 2001 से जनपद लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में संचालित है। इसके अन्तर्गत 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृहों, अरबन हेल्थ पोस्ट, विभिन्न इकाईयों में रेफरल प्रोटोकॉल, 01 अरबन आर.सी.एच. कार्यालय, मीटिंग हॉल तथा कम्युनिटी लिन्केज के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार इत्यादि गतिविधियाँ संचालित थी। उक्त गतिविधियों को यूरोपियन कमीशन सहायतित सेक्टर इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था किन्तु वर्ष 2007 के माह नवम्बर में यूरोपियन कमीशन से भारत सरकार का एम.ओ.ओ.यू. समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है वर्ष 2012-13 हेतु अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम के संचालन हेतु 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह में अतिरिक्त सपोर्ट, 14 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन आर.सी.एच. कार्यक्रम एवं मीटिंग हाल के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2012-13 हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./अरबन आर.सी.एच./2012-13/517-72 दिनांक 14.06.2012 तथा एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./अरबन आर.सी.एच./2012-13/543-72 दिनांक 20.06.2012 द्वारा कार्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर संविदा कर्मचारियों के पुनर्अनुबन्ध हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

#### संविदा कर्मियों के तैनाती के सामान्य नियम:

- सभी चयन/पुनर्अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा की जायेगी यदि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विलम्ब हो रहा है तो अध्यक्ष कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय तथा इसका कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये ही होगी।
- किसी भी दशा में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति स्थान विशेष पर कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो उस स्थान पर संविदा समाप्त करने के उपरान्त किसी अन्य स्थान पर सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात ही नियमानुसार नवीन तैनाती की जा सकेगी।
- यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वंत समाप्त कर दी जाय।
- संविदा कर्मी अपने विनियमितकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- संविदा कर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।
- नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा चिकित्सक/कर्मी नियमित चिकित्सकों/कर्मियों की भाँति ही सप्ताह में 6 दिन अथवा नियत रोस्टर के अनुसार कार्यरत रहेंगे तथा नोडल अधिकारी अरबन की सहमति से साप्ताहिक/आकस्मिक/चिकित्सा अवकाश (वर्ष में 14) तथा राजपत्रित/निर्बन्धित अवकाश के अधिकारी होंगे।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार संविदा पर कर्मियों की तैनाती में आरक्षण का यथा संभव पालन किया जाना है।

उम्मी

- संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- सम्बन्धित संविदा कर्मी का वेतन दिये जाने से पहले उसके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप-1 पर सूचना भर कर एस0पी0एम0य० के अरबन आर0सी0एच0 अनुभाग में प्रेषित की जानी है।

क्रम सं	पदनाम	संविदा कर्मी का नाम एवं पता	संविदा कर्मी का मोबाइल नॉ	पिता/पति का नाम	तैनाती का स्थान	तैनाती की तिथि	फोटो

नोट:- प्रत्येक स्तर के कर्मी के नाम के सम्मुख फोटो भी प्रदर्शित की जायेगी।

- समस्त संविदा कर्मियों के लिए बैंचमार्क चिन्हित किये गये हैं जिनका विवरण आगे के प्रस्तरों में दिया जा रहा है। प्रत्येक कर्मी के भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने चिन्हित बैंचमार्क की प्राप्ति सुनिश्चित करें तभी उसके मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

लखनऊ अरबन आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जानी हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

1. **अरबन आर0सी0एच0 कार्यालय एवं मीटिंग हॉल :** मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में द्वितीय तल पर अरबन आर0सी0एच0 कार्यालय एवं मीटिंग हॉल स्थित है। उक्त के सुचारू संचालनार्थ मानव संसाधन की तैनाती की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है :

- **कम्प्यूटर आपरेटर :** एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अरबन आर0सी0एच0 जनपदीय मुख्यालय/ कार्यालय पर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा कार्यक्रम से सम्बन्धित भौतिक सूचनाओं का संकलन, प्रेषण दैनिक पत्राचार एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त कार्य अपर मुख्य चिकित्साधिकारी—नगरीय/ नोडल अधिकारी (अरबन आर0सी0एच0) के नेतृत्व/पर्यवेक्षण/ दिशा—निर्देशन में सुनिश्चित किये जायेंगे तथा कार्यक्रम के संचालन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 14850/-प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **आफिस अटेन्डेन्ट:** एक आफिस अटेन्डेन्ट की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आफिस अटेन्डेन्ट द्वारा अरबन आर0सी0एच0 मुख्यालय/ कार्यालय से सम्बन्धित सामान्य दैनिक कार्यों के निस्तारण में नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर आपरेटर तथा कार्यालय कार्मिकों के साथ कार्य किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त मीटिंग हॉल में आयोजित होने वाली बैठकों के सुचारू आयोजन में स्टोर कीपर—कम—केयर टेकर को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 7150/-प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **स्टोर कीपर—कम—केयर टेकर :** एक स्टोर कीपर—कम—केयर टेकर की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्टोर कीपर—कम—केयर टेकर द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी— नगरीय/ नोडल अधिकारी (अरबन आर0सी0एच0) के कार्यालय में स्थित भण्डार पर कार्यरत नियमित स्टोर कीपर को सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा मिशन निदेशालय/ मुख्यालय द्वारा अरबन आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य इकाईयों के उपयोगार्थ औषधियों, कन्टीजेन्सी सामग्री तथा परिवार कल्याण के लॉजिस्टिक/ गर्भनिरोधक सामग्री इत्यादि के भण्डारण एवं वितरण इत्यादि की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थित/ सुरक्षित रखे जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त सभागार का आवंटन, मीटिंग हॉल में आयोजित होने वाली बैठकों का विवरण तथा साज—सज्जा इत्यादि की देखरेख एवं समय—समय पर सभागार के संचालन में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण अपर मुख्य चिकित्साधिकारी— नगरीय/ नोडल अधिकारी (अरबन आर0सी0एच0) के नेतृत्व में सुनिश्चित किया जायेगा तथा उन्हें समय—समय पर अवगत कराया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 9900/-प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **स्वीपर (पूर्णकालिक) :** एक स्वीपर की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीपर द्वारा अरबन आर0सी0एच0 कार्यालय एवं मीटिंग हॉल की साफ—सफाई इत्यादि का कार्य पूर्णकालिक अवधि में किया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/-प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **सिक्योरिटी गार्ड्स :** एक सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा अरबन आर0सी0एच0 कार्यालय एवं मीटिंग हॉल इत्यादि की सुरक्षा का कार्य किया

जायेगा तथा समय-समय पर आयोजित बैठकों में उपस्थित अधिकारियों की सुरक्षा इत्यादि का कार्य किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/शिविरों में इनका सहयोग लिया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पून) :** एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी— नगरीय/ नोडल अधिकारी (अरबन आर०सी०एच०) के दिशा-निर्देशन में कार्य किया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **डाक रनर:** मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रस्तावानुसार वर्ष 2012-13 हेतु 2 डाक रनर की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनके द्वारा लखनऊ शहर के समस्त चिकित्सालयों को डाक, पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **मिसलेनियस हेड्स-ऑफरेशनल व्यय:** अरबन आर०सी०एच० ऑफिस तथा मीटिंग हॉल हेतु ऑफरेशनल व्यय के रूप में फोन, फैक्स, ३००पी०डी० स्लिप्स, हैण्डबिल्स की प्रिन्टिंग इत्यादि का प्राविधान किया गया है।

- टेलीफोन तथा इनटरनेट के व्यय हेतु ₹ 3000/- प्रति माह का प्राविधान है। टेलीफोन तथा इनटरनेट का भुगतान वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाय तथा ऑफिस में जिन स्थानों पर टेलीफोन लगाये गये हैं। उन स्थानों का नाम तथा टेलीफोन नम्बर का रिकार्ड अंकित किया जाय।
- ३००पी०डी० स्लिप, रेफरल कार्ड की प्रिन्टिंग हेतु ₹ 5000/- प्रति माह की स्वीकृति प्रदान की गयी है। समस्त प्रिन्टिंग का कार्य टेप्डर /कोटेशन के माध्यम से किया जाय तथा प्रिन्टिंग करायी गयी सामग्री की प्रति ऑफिस में सुरक्षित रखी जाय।
- सुपरविजन एवं मानिटरिंग हेतु ₹ 5000/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस धनराशि का उपयोग अरबन नोडल अधिकारी या अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जो क्षेत्र में अरबन आर०सी०एच० कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन करने जायेंगे उनको भुगतान उनके द्वारा पर्यवेक्षण आख्या तथा बिल प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा जिन अधिकारियों को वाहन उपलब्ध है उन्हें वाहन के पी०ओ०एल० हेतु इस धनराशि का व्यय किया जायेगा।

**2. बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह (8) :** जनपद लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में स्थित 8 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृहों में 24 X 7 सेवाओं तथा जटिल प्रसव केसों एवं बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से नियमित विषेशज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अतिरिक्त संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

- **स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ :** संविदा पर कुल 8 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनके द्वारा सामान्य एवं जटिल प्रसव केसों का प्रबन्धन, ३००पी०डी०, आकस्मिक सेवायें, परिवार कल्याण एवं संदर्भन इत्यादि सेवायें प्रदान किये जाने का कार्य किया जायेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य इकाई के कार्यभार एवं कार्यक्रमता को दृष्टिगत् रखते हुए अन्य स्वास्थ्य इकाईयों में इनकी आवश्यकतानुसार तैनाती हेतु स्वतन्त्र होंगे। इनके मानदेय हेतु ₹ 38500/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **बाल रोग विशेषज्ञ :** इसी प्रकार कुल संविदा के आधार पर कुल 4 बाल रोग विशेषज्ञों की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिनके द्वारा ३००पी०डी०, नवजात शिशु की देखभाल तथा जटिल केसों का प्रबन्धन एवं सन्दर्भन इत्यादि कार्य किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इनके द्वारा ऑन-कॉल सेवायें भी प्रदान की जायेगी। नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य इकाई के कार्यभार एवं कार्यक्रमता को दृष्टिगत् रखते हुए अन्य स्वास्थ्य इकाईयों में इनकी आवश्यकतानुसार तैनाती हेतु स्वतन्त्र होंगे। इनके मानदेय हेतु ₹ 38500/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **एनेस्थेटिस्ट :** बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृहों में 24 X 7 सेवाओं तथा जटिल प्रसव केसों के सम्पादन हेतु ₹ 1650/- प्रति कॉल के आधार पर एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी। प्रत्येक एनेस्थेटिस्ट द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का प्रत्येक कॉल का विवरण पृथक-पृथक रखा जायेगा जिसमें लाभार्थी का पूरा नाम, पति का नाम, एनेस्थीसिया दिये जाने का समय, पूरा पता (जिसमें मकान नम्बर/ग्राम/मोहल्ला/क्षेत्र/ क्षेत्रीय पुलिस चौकी अनिवार्य रूप से अंकित हो, यथा

सम्भव दूरभाष भी अंकित किया जाये) सम्मिलित होगा। उक्त विवरण को सम्बन्धित चिकित्सालय की अधीक्षिका/प्रभारी अधिकारी द्वारा उसी दिन सत्यापित किया जायेगा तथा सम्बन्धित एनेस्थेटिस्ट को उनके द्वारा कराये गये केसेज़ का भुगतान उपरोक्तानुसार निर्धारित समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर (चिकित्सालय की सुविधानुसार) सम्बन्धित चिकित्सालय की अधीक्षिका द्वारा किया जायेगा। कुल कराये गये केसेज तथा उनके विरुद्ध भुगतान की गयी धनराशि की सूचना प्रत्येक माह अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नगरीय)/नोडल अधिकारी (अरबन आर०सी०एच०) के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। एनेस्थेटिस्ट की सेवायें प्राप्त करने वाली लाभार्थी का उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण चिकित्सालय पर उपलब्ध रखा जायेगा जिसका नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है।

- **स्टाफ नर्स :** संविदा के आधार पर कुल 8 स्टाफ नर्सों की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इनके द्वारा सामान्य एवं जटिल प्रसव केसों के प्रबन्धन में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ तथा बाल रोग विषेशज्ञों का सहयोग, ३०पी०डी० में टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाओं इत्यादि का कार्य किया जायेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य इकाई के कार्यभार एवं कार्यक्षमता को दृष्टिगत् रखते हुए अन्य स्वास्थ्य इकाईयों में इनकी आवश्यकतानुसार तैनाती हेतु स्वतन्त्र होंगे। इनके मानदेय हेतु ₹ 16500/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **वार्ड आया :** संविदा के आधार पर कुल 16 वार्ड आया की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं जो अधीक्षिका द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार वार्ड, ३०पी०डी०, प्रसव कक्ष, इमरजेन्सी सेवायें प्रदान करने तथा चिकित्सालय में आने वाले रोगियों के सहयोग इत्यादि का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य इकाई के कार्यभार एवं कार्यक्षमता को दृष्टिगत् रखते हुए अन्य स्वास्थ्य इकाईयों में इनकी आवश्यकतानुसार तैनाती हेतु स्वतन्त्र होंगे। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **सफाई कर्मचारी (पूर्णकालिक) :** संविदा के आधार पर कुल 16 सफाई कर्मचारी की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं जो अधीक्षिका द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार वार्ड, ३०पी०डी०, प्रसव कक्ष, इमरजेन्सी इत्यादि में सफाई व्यवस्था का कार्य सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य इकाई के कार्यभार एवं कार्यक्षमता को दृष्टिगत् रखते हुए अन्य स्वास्थ्य इकाईयों में इनकी आवश्यकतानुसार तैनाती हेतु स्वतन्त्र होंगे। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/- प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **डाटा असिस्टेन्ट :** वर्ष 2011–12 में 4 डाटा असिस्टेन्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रस्ताव वर्ष 2012–13 हेतु संविदा पर कुल 8 डाटा असिस्टेन्ट की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। इनके द्वारा चिकित्सालय एवं स्थानीय क्षेत्रीय सूचनाओं का संकलन, समस्त सेवाओं की सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण, जननी सुरक्षा योजना तथा नियमित टीकाकरण के लाभार्थियों की सूची का कम्प्यूटरीकरण तथा दैनिक पत्राचार एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस प्रकार समस्त 8 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृहों को कम्प्यूटर सेवाओं से आच्छादित किया जायेगा। इनके मानदेय हेतु ₹ 11000/- प्रति माह की दर से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनके सहयोग के लिए कन्टीजेन्सी एवं स्टेशनरी मद में ₹ 1000/- प्रति माह की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **एम्बुलेन्स सेवा (रोगी वाहन) :** प्रत्येक बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह पर पूर्व की भाँति नियत मासिक भुगतान पर रोगी वाहन की सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी जो 24 X 7 चिकित्सालय पर उपलब्ध रहेगी। इन रोगी वाहनों का उपयोग मुख्यतः मलिन बस्ती/बी०पी०एल० लाभार्थियों के ट्रान्सपोर्टेशन (रोगियों को लाने-ले जाने एवं चिकित्सालयों के सन्दर्भन) हेतु किया जायेगा। मलिन बस्ती में स्थित नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा औचित्यपूर्ण कार्य हेतु रोगी वाहन माँगे जाने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की अधीक्षिका/प्रभारी अधिकारी द्वारा तत्काल एम्बुलेन्स सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी। उपयोग की गयी एम्बुलेन्स की लॉग बुक में नियमित रूप से प्रविष्टि की जायेगी जिसे माह के अन्त में चिकित्सालय की अधीक्षिका द्वारा सत्यापित किया जायेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एम्बुलेन्स का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक मलिन बस्तीवासियों के लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाये। एम्बुलेन्स का चयन जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त टेण्डर/कोटेशन के माध्यम से किया जायेगा तथा एम्बुलेन्स वाहन टैक्सी परमिट का ही चयन किया जाना है। एम्बुलेन्स को किराये

पर लेने हेतु ₹ 25000/- प्रति माह प्रति एम्बुलेन्स की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है यदि बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के अन्तर्गत मरीजों को Free Transport की सुविधा दी जा रही है तो इन एम्बुलेन्स को किराये पर न लिया जाये।

**3. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र (14) :** जनपद लखनऊ के नगरीय क्षेत्र में स्थित 14 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य प्रदान किये जाने के उद्देश्य से संविदा पर मानव संसाधन की तैनाती की जानी है जिसका विवरण निम्नवत् है :—

जनसंख्या—50,000 जनसंख्या (मलिन बस्तियों की जनसंख्या 30,000—35,000) पर एक हेत्थ पोस्ट संचालित की जानी है।

**किराये का भवन—** मलिन बस्ती क्षेत्र में या उसके नजदीक हो। भवन में ओ०पी०डी०, minor O.T., दर्वाझ वितरण कक्ष एवं टीकाकरण कक्ष होना चाहिए।

**कार्य अवधि—** 8 घंटा प्रति कार्यदिवस (समय का निर्धारण क्षेत्रीय मलिन बस्ती की आवश्कता/पहुँच का आंकलन करके किया जाये)।

**सेवाओं की सूची —**

—प्रसव पूर्व सेवाएं—गर्भवती माता के लिए टी०टी० टीकाकरण, आई०एफ०ए० गोलियां, पेशाब एवं खून की जाँच, पोषण संबन्धी सलाह, शारीरिक जाँच (बच्चे की स्थिति, खतरे के लक्षणों की पहचान, वजन, बी०पी० आदि)

—संस्थागत प्रसव (आकस्मिक स्थिति में)

—जटिल प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं का संदर्भन

—प्रसवोत्तर सेवाएं—माता एवं शिशु की जाँच एवं सामान्य रोगों का उपचार, टीकाकरण।

—परिवार नियोजन सेवायें तथा गर्भ निरोधक गोलियां एवं कण्डोम का वितरण, आई०य०डी० का लगाना तथा नसबंदी हेतु संदर्भन।

—गर्भ निरोधकों एवं ओ०आर०ए०स० का भण्डारण।

—प्रयोगशाला में पेशाब एवं खून की जाँच की सुविधायें।

—सामान्य (मानझर) रोगों का उपचार।

**मानव संसाधन—**प्रत्येक अरबन हेत्थ पोस्ट में 1 महिला चिकित्सा अधिकारी, 1 स्टाफनर्स, 1 ए०एन०एम० तथा 1 स्वीपर कम चौकीदार की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **भवन किराया :** वर्तमान में जनपद लखनऊ में संचालित 14 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों में से कुल 8 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है। उक्त किराये के भवनों के संचालनार्थ इस वर्ष भी 8 स्वास्थ्य केन्द्रों के किराये हेतु ₹ 7,000/- प्रतिमाह की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

किराये के भवन में 01 कक्ष ओ०पी०डी०— प्रतीक्षालय तथा चिकित्साधिकारी के चैम्बर सहित (न्यूनतम 30 वर्ग मीटर साईज)

01 कक्ष माइनर ओ०टी० (न्यूनतम 12 वर्ग मीटर साईज)

01 कक्ष औषधि एवं अन्य लॉजिस्टिक के भण्डार एवं वितरण हेतु (न्यूनतम 15 वर्ग मीटर साईज)

01 कक्ष टीकाकरण एवं अन्य कार्यों हेतु (न्यूनतम 12 वर्ग मीटर साईज) होना चाहिए।

भवन में 2 शौचालय (01 शौचालय स्टाफ के लिए तथा 01 शौचालय मरीज एवं उनके रिश्तेदारों के लिए) 24 घण्टे पानी की सुविधा सहित होने चाहिए। भवन के किराये हेतु ₹ 7000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6 अन्य नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र जो ढूड़ा के भवन में संचालित है उनके सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 1,20,000/-प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपदीय इन्जीनियरिंग सेल तथा ढूड़ा के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्येक ढूड़ा के भवन में संचालित नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र के सुदृढ़ीकरण हेतु बजट का आंकलन कर ले तत्पश्चात प्रस्ताव को जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सुदृढ़ीकरण करायें। भवन के सुदृढ़ीकरण से पहले तथा सुदृढ़ीकरण के पश्चात का फोटोग्राफ लेकर जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे तथा एक प्रति एस०पी०एम०य००, एन०आर०एच०एम० के अरबन आर०सी०एच० अनुभाग में भिजवाने का कष्ट करें।

- **चिकित्साधिकारी :** प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा के आधार पर एक महिला चिकित्साधिकारी की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी के रूप में कार्य

उमा

करेंगी तथा स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत समस्त कर्मचारी से उनके पदनाम के अनुरूप कार्य लेते हुए केन्द्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगी। यह अपने केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं से क्षेत्रीय निवासियों को आच्छादित करते हुए सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के समयबद्ध संकलन एवं प्रेषण हेतु उत्तरदायी होंगी। इस प्रकार कुल 14 महिला चिकित्साधिकारी संविदा के आधार पर तैनात की जानी है इनके मानदेय हेतु ₹ 33000/- प्रति माह की दर से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। चिकित्साधिकारी के चयन में सेवानिवृत्त 65 वर्ष की आयु तक के चिकित्साधिकारी भी लिये जा सकते हैं जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

- **स्टाफ नर्स :** प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा के आधार पर एक स्टाफ नर्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी के दिशा-निर्देशन में स्वास्थ्य इकाई पर ओ०पी०डी० एवं अन्य सामान्य परीक्षण एवं सेवायें प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस प्रकार कुल 14 स्टाफ नर्स संविदा के आधार पर तैनात की जायेंगी। इनके मानदेय हेतु ₹ 16500/- प्रति माह की दर से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्टाफ नर्स के चयन में सेवानिवृत्त 65 वर्ष की आयु तक की स्टाफ नर्स भी ली जा सकती है जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- **ए०एन०एम० :** प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा के आधार पर एक ए०एन०एम० की तैनाती होगी जो नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी के दिशा-निर्देशन में स्वास्थ्य इकाई पर नियत दिवस टीकाकरण एवं अन्य सेवायें प्रदान करने का कार्य करेंगी। टीकाकरण दिवस के अतिरिक्त यह ए०एन०एम० क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा अन्य सम्बन्धित स्वास्थ्य गतिविधियाँ संचालित करेंगी। इस प्रकार कुल 14 ए०एन०एम० संविदा के आधार पर तैनात की जायेंगी। इनके मानदेय हेतु ₹ 9900/- प्रति माह की दर से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ए०एन०एम० के चयन में सेवानिवृत्त 65 वर्ष की आयु तक की ए०एन०एम० भी ली जा सकती है जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- **स्वीपर-कम-चौकीदार :** प्रत्येक नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा के आधार पर एक स्वीपर-कम-चौकीदार की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी के दिशा-निर्देशन में स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीपर-कम-चौकीदार का कार्य करेंगे। इस प्रकार कुल 14 स्वीपर-कम-चौकीदार संविदा के आधार पर तैनात किये जायेंगे। इनके मानदेय हेतु ₹ 4950/- प्रति माह की दर से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अरबन आर०सी०एच० कार्यक्रम के अन्तर्गत निहित गतिविधियों के सुचारू संचालनार्थ एवं क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन की इकाईवार तैनाती/अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (नगरीय)/नोडल अधिकारी, अरबन आर०सी०एच०, लखनऊ द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ की सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा सकेंगे।
- **विद्युत किराया :** जनपद लखनऊ में संचालित समस्त 14 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु विद्युत मद में ₹ 1,000/- प्रतिमाह की धनराशि का प्राविधान किया गया है। विद्युत भुगतान वास्तविक बिलों के अनुसार किया जाये।
- **दूरभाष किराया :** जनपद लखनऊ में संचालित समस्त 14 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु दूरभाष किराया मद में ₹ 1,000/- प्रतिमाह की धनराशि का प्राविधान किया गया है। दूरभाष के किराये का भुगतान वास्तविक बिलों के अनुसार किया जाये।
- **कन्टीजेन्सी :** जनपद लखनऊ में संचालित समस्त 14 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कन्टीजेन्सी मद में ₹ 1000/- प्रतिमाह की धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसका उपयोग दैनिक कन्टीजेन्सी सामग्री एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों हेतु किया जाये।

**बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृहों पर सिजेरियन केसेज़ हेतु औषधि :** बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृहों पर सम्पन्न होने वाले सिजेरियन केसेज़ में प्रयोग होने वाली औषधि 'जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' के अन्तर्गत आपूर्ति की जानी है।

**नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों उपयोगार्थ औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था :** नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों आने वाले रोगियों के सामान्य रोगों के उपचारार्थ प्रयोग होने वाली औषधि हेतु ₹ 10,000/- प्रति माह तथा कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था ₹ 3000/- प्रति माह प्रति इकाई के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है।

UML

औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकतानुसार रेट कान्ड्रेक्ट द्वारा किया जाना है।

**उपकरण एवं फर्नीचर –** वर्ष 07–08 में संचालित सभी हेत्थ पोस्ट हेतु सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उपकरण एवं फर्नीचर के क्रय के लिए धनराशि मुक्त की गयी थी। अतः सभी हेत्थ पोस्ट पर मानक के अनुसार उपकरण एवं फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें।

**नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियां:** अरबन हेत्थ पोस्ट पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवायें, काउन्सिलिंग एवं सन्दर्भन सेवाएं सुनिश्चित करायें। अरबन हेत्थ पोस्ट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची अरबन हेत्थ पोस्ट के प्रवेश द्वार के नजदीक 6 फीट X 4 फीट आकार की होर्डिंग पर स्पष्ट एवं बड़े-बड़े अक्षरों में प्रदर्शित की जाय जो दूर से पठनीय हो। टेलीफोन नम्बर, चिकित्साधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के नाम भी होर्डिंग पर प्रदर्शित किये जाय। अरबन हेत्थ पोस्ट तक लाभार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर अरबन हेत्थ पोस्ट के स्थान की दिशा एवं दूरी इंगित करते हुये टेलीफोन नम्बर दर्शार्या जाय। यदि कोई अरबन हेत्थ पोस्ट मलिन बस्ती क्षेत्र से बहुत दूर स्थापित है एवं मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनता को सेवाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है तो अरबन हेत्थ पोस्ट को मलिन बस्ती क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाय एवं इसकी सूचना महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं एस०पी०एम०य० में उपलब्ध करायी जाय। अरबन हेत्थ पोस्ट के संचालन की सूचना उपर्युक्त वर्णित होर्डिंग की फोटोग्राफ के साथ एस०पी०एम०य० में उपलब्ध करायी जाय।

### अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अरबन हेत्थ पोस्ट पर गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु क्षेत्र के सूडा कर्मियों, सक्रिय एन०जी०ओ० एवं जनपदों में पूर्व से कार्यरत हेत्थ पार्टनर का सहयोग लिया जाय। मलिन बस्ती क्षेत्रों में आउटरीच टीकाकरण सत्रों को भी आयोजित किया जाय। प्रत्येक अरबन हेत्थ पोस्ट पर टेलीफोन कियाशील किया जाय एवं नियमित मासिक रिपोर्टिंग प्रारूप पर टेलीफोन नम्बर का अंकन किया जाय, जिससे हेत्थ पोस्ट पर कार्यरत कार्मिकों से समय-समय पर फीडबैक प्राप्त की जा सके। अरबन हेत्थ पोस्ट पर कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के बारे में संवेदनशील कर दिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप सेवाओं से वंचित समुदाय को अरबन हेत्थ पोस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जा सके। प्रति माह आयोजित होने वाली डी०एच०एस० की बैठक में अरबन हेत्थ पोस्ट पर नियमित टीकाकरण मातृ शिशु कल्याण सेवाएं एवं उपचारित किये गये रागियों की समीक्षा की जायेगी।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु नोडल अधिकारी अरबन नामित किया जाना है जो इन हेत्थ पोस्ट के संचालन के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा। समय-समय पर मानिटरिंग एवं सुपरविजन द्वारा इन हेत्थ पोस्ट की क्रियाशीलता के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगा तथा मानव संसाधन, औषधि एवं अन्य लाजिस्टिक की पूर्ति हेतु उत्तरदायी होंगा। जिले स्तर पर हेत्थ पोस्ट के भौतिक कार्यों की समीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति माह की जायेगी। माह के अंत में निर्धारित प्रारूप पर भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट तैयार कर संयुक्त निदेशक अरबन आर०सी०एच० परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा एस०पी०एम०य०, एन०आर०एच०एस० के अरबन आर०सी०एच० अनुभाग में नियमित रूप से प्रेषित करेंगे।

**वित्तीय व्यवस्था-** कार्यक्रम के संचालन हेतु आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल के FMR Code No. A-5- Urban RCH कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। महानिदेशक परिवार कल्याण के प्रस्ताव पत्र संख्या प०क० / 13-जे०डी० / 2012 / 295 दिनांक 22.06.2012 के क्रम में कार्यक्रम के संचालन के लिए 09 माह हेतु संलग्न विवरण के अनुसार आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल के FMR Code No. A-5- Urban RCH मद में ₹ 2,12,57,550.00 की धनराशि तथा मिशन फ्लैक्सीपूल के FMR Code No. B.16.2.5 General Drug & Supplies for Health Facility मद में ₹ 16,38,000.00 की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा रही है।

विगत वर्षों में हुयी वित्तीय/प्रशासनिक अनियमताओं की नियंत्रक महालेखाकार तथा सी०बी०आई० द्वारा विभिन्न स्तरों पर जाँच की गयी तथा कार्यवाहियां करायी गयी। पुनः वित्तीय अनियमितायें न हो पायें इसके लिए धनराशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तर से उपलब्ध कराये गये, 'स्टेट फाईनेशियल मैनेजमेंट' के अनुसार वित्तीय प्रबन्धन कार्यान्वित कर किया जाय तथा धनराशि का किसी प्रकार का व्ययावर्तन (Diversion) न किया जाय।

UNJ

धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।

व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट एस०पी०एम०य००, एन०आर०एच०एम० के आर०आई० अनुभाग में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: रिपोर्टिंग प्रपत्र बजट शीट तथा व्यय-विवरण प्रपत्र

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)  
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस.पी.एम.य० / एन.आर.एच.एम./ अरबन आर.सी.एच./ 2012-13/111.3-४

तददिनांक

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- ✓ 7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य००, लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

13/08/12  
(मुकेश कुमार मेश्राम)  
मिशन निदेशक

**PERFORMANCE APPRAISAL FORM (MBBS/ SPECIALISTS DOCTORS)**  
**PART-I( Common for All)**

REVIEW PERIOD:

NAME:

DATE OF JOINING :

LOCATION:

DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:

**PART-II**

**1. Major responsibilities assigned during the review period ( As per assigned duties)**

- 
- 
- 

**2. Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)**

**A. Quantitative Assessment**

**MBBS DOCTORS ( Female)**

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No. of OPD cases attended	
2.	No. of ANC/PNC cases handled at the facility	
3.	No. of Emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of labour cases handled at the facility	
5.	No. of infant/neonatal cases attended	
6.	No of family planning cases attended for Family Palnning method	

**Details Regarding the Field Visit:**

a)	No. of Clinics in Urban Slum (once in a fortnight)	
b)	No. of meetings/staff meetings attended.	
d)	No. of schools visited in Urban Slum area at regular intervals for medical check ups	

**SPECIALISTS (Urban RCH Lucknow)**

**OBS. & GYNAE.**

Sl. No.	Activities	Target	Achievement
1.	No of Normal Deliveries conducted		
2.	No of Assisted Deliveries		
3.	No of Caesarean Section Operations		
4.	No of MTP/Safe Abortions		
5.	No. of Sterilization Operations		

**PEDIATRICIANS**

<b>Sl. No.</b>	<b>Activities</b>	<b>Target</b>	<b>Achievement</b>
1.	No of Children attended in OPD		
2.	No of Children admitted indoor		
3.	No of newborns resuscitated in labour room		
4.	No. of sick newborns treated		

**ANAESTHETIST**

<b>Sl. No.</b>	<b>Activities</b>	<b>Target</b>	<b>Achievement</b>
1.	No. of General Anesthesia		
2.	No. of Spinal Anesthesia		
3.	No. of Local Anesthesia		

**B. Qualitative Assessment (Common for all )**

- Interpersonal Relationship  
(Attitude towards and degree of co-ordination with colleagues, Subordinates, Superiors, and other departments)

<b>Outstanding</b>	<b>Very Good</b>	<b>Good</b>	<b>Average</b>	<b>Poor</b>
--------------------	------------------	-------------	----------------	-------------

- Behaviour with patients

<b>Good</b>	<b>Average</b>	<b>Bad</b>
-------------	----------------	------------

- Flexibility and Adaptability

<b>Outstanding</b>	<b>Very Good</b>	<b>Good</b>	<b>Average</b>	<b>Poor</b>
--------------------	------------------	-------------	----------------	-------------

- Is punctual

<b>Always</b>	<b>Sometimes</b>	<b>Never</b>
---------------	------------------	--------------

- Is dependable for tasks assigned

<b>Always</b>	<b>Sometimes</b>	<b>Never</b>
---------------	------------------	--------------

**C. Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period:**

**D. Remarks of the Assessing Authority**

**Overall assessment of the appraisee:**

**Recommendations:** Contract Renewed / Contract Terminated

Date:

Name:

Signature:

**PERFORMANCE APPRAISAL FORM (Staff Nurse/ ANM/ Data Assistant )****PART-I( Common for All)**

REVIEW PERIOD:

NAME:

DATE OF JOINING :

LOCATION:

DATE OF COMPLETION OF CONTRACT:

**PART-II****1. Major responsibilities assigned during the review period ( As per assigned duties)**

- 
- 
- 

**2. Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)****A- Quantitative Assessment****Staff Nurse**

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No of OPD cases per month(ANC registered/TT given)	
2.	Family planning services (detail)	
3.	Immunization by Staff nurse at UHP (Antigen wise)	

**ANM**

Sl. No.	Activities	Achievement
1	No of pregnant women immunized with 2 TT inj. And ensured with 3 ANC visit and 2 postnatal visits	
2.	No of Fully Immunized Children in her areas	
3.	No of cases of malnutrition among infants and young children (upto 5 years )identified and necessary advice and treatment given or referred serious cases to Urban Health Posts of District Hospital	

**Details Regarding the Field Visit:**

1	No of Sessions planned/ held in Urban Slum areas	
2	No of ANC registered / immunized	
3	No of Children immunized (antigen wise)	
4	No of Malnourished children identified and referred	
5	Family planning services	

**Record keeping :**

Records	Complete	Incomplete	Not entered
MCH register			
Eligible couple register			
Clinic register			
Stock register			

**Data Assitant**

Sl. No.	Activities	Achievement
1	Data entry of all required information/record on a concurrent basis and producing monthly /quarterly reports/formats	

**Record keeping :**

Records	Timely submission	Late submission	Not submitted /entered
Janani Suraksha Yojana			
Immunization			
24 x 7 deliveries services			
National Disease control programme			
HMIS feeding			

**B- Qualitative Assessment**

- Interpersonal Relationship  
(Attitude towards and degree of co-ordination with colleagues, Subordinates, Superiors, and other departments)

Outstanding	Very Good	Good	Average	Poor
• Behaviour with patients				
Good	Average	Bad		
• Flexibility and Adaptability				
Outstanding	Very Good	Good	Average	Poor
• Is punctual				
Always	Sometimes	Never		
• Is dependable for tasks assigned				
Always	Sometimes	Never		

**C- Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period:**

**D- Remarks of the Assessing Authority**

**Overall assessment of the appraisee:**

**Recommendations: Contract Renewed / Contract Terminated**

Date:

Name:

Signature:

### नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र की भौतिक प्रगति का विवरण (वर्ष 12-13)

जनपद-	स्थापना वर्ष-		
नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:-			
चिकित्सा अधिकारी का नाम	योग्यता:-		
स्टाफनर्स का नाम:-			
ए०एन०एम० का नाम:-			
स्वीपर कम चौकीदार:-			
माह			
क्रम सं०	कार्य का विवरण	मासिक प्रगति	क्रमिक प्रगति
अ	वाहय रोगियों की संख्या		
1.	नये		
2.	पुराने		
ब	प्रसव पूर्व महिला की देख-रेख		
1.	गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण		
2.	गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसवपूर्व तीन बार परीक्षण किया गया।		
3.	टी.टी. टीकाकरण—		
	टी.टी. 1		
	टी.टी. 2		
4.	जटिलता की स्थिति में संदर्भन		
स	प्रसव देख-रेख		
1.	सामान्य प्रसव (आकस्मिक स्थिति में)		
2.	सहायतित (आकस्मिक स्थिति में)		
3.	गर्भपात		
द	बच्चों का टीकाकरण		
1.	बी.सी.जी.		
2.	पोलियो		
3.	डी.पी.टी.		
4.	हेपेटाइटिस		
5.	मीजिल्स		
6.	विटामिन—ए पहली खुराक		
7.	डी.पी.टी. बूस्टर		
8.	पोलियो बूस्टर		
9.	जे०ई० वैक्सीन		
10.	विटामिन ए की 2-9 खुराक (बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान)		
य	परिवार नियोजन लाभार्थी		
1.	पुरुष नसबन्दी हेतु संदर्भन		
2.	महिला नसबन्दी हेतु संदर्भन		
3.	आई०य०सी०डी०		
4.	गर्भ निरोधक गोलियॉ		
5.	कण्डोम		

इब

**State of Expenditure for Urban RCH Programme – Lucknow (2012-13)**

S. N.	<b>Particulars (Salary/Other)</b>	<b>No</b>	<b>Budget received</b>		<b>Expenditure</b>			
			<b>Month</b>	<b>Cummulative</b>	<b>Month</b>	<b>Cummulative</b>		
<b>RCH Flexipool</b>								
<b>A. Urban RCH Office and Meeting hall</b>								
<b>Human Resource</b>								
	Sr. Computer Operator							
	Office Assistant							
	Store Keeper (NRHM+Urban RCH)							
	Sweeper							
	Office Peon							
	Dak Runner							
	Choukidar							
<b>Misc.Head</b>								
	Telephone with Internet Connections							
	Contingency for OPD Slips, Referral Cards etc.							
	Supervision-Monitoring- Evaluation							
<b>B. 8 Bal Mahila Chikitsalaya Evam Prasuti Griha (BMC &amp; PGs)</b>								
	Gynaecologist							
	Anaesthetist (Required on Call basis)							
	Paediatrician							
	Staff Nurse							
	Data Assistant							
	Ward Ayah							
	Sweeper/Sweepress							
	Ambulances Support							
	Contingency & Stationary for Computer etc.							
<b>C. Urban Health Posts</b>								
1.	<b>Human resource</b>							
	Medical Officer							
	Staff Nurse							
	ANM							
	Sweeper cum chaokidar							
2	Building Rent							
3	Electricity Bill							
4	Telephone Bill							
5	Contengency							
<b>Grand total in RCH flexipool</b>								
<b>Mission Flexipool</b>								
	Drugs & Consumables							